उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-31/2021/आई/130618/41-1002(001)/164/2021-265(बजट)/2021
लखनऊ:: दिनांक 09 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद कानपुर नगर के तहसील/वि0ख0-घाटमपुर के ग्राम/शहर-अकबरपुर में युमना तट पर स्थित राम सीता मंदिर का पर्यटन विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-708/2021/आई/121249/41-1002(001)/164/2021-265(बजट)/2021, दिनांक 10.12.2021 के पृष्ठांकन सं0-03 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 10.12.2021 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी कानपुर नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।
7. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 8, 9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. अधिशाषी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in